राजस्व अपील संख्या 266/2026 बन्नाराम बनाम राज्य

निर्णय दिनांक : 27.04.2026

1. अपीलान्ट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 94/2022 अनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश वगैराह में पारित आदेश दिनांक 29.3.2022 के विरूद्ध यह प्रथम अपील दिनांक 15.4.2026 को प्रस्तुत की गई जो उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई।

2. अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्र में उसे आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया था, वर्तमान में प्रत्यर्थी मोके पर आये तथा अपीलार्थी के खेत में रास्ता निकालने की धमकी दी और कहा कि अब वह रास्ता चालू करके रहेगा जिस पर अपीलान्ट ने अधिवक्ता के माध्यम से अपीलाधीन आदेश के सम्बन्ध में नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 9.4.2026 को नकले प्राप्त हुई, तब अपीलाधीन आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश करने में जानबूझकर देरी नहीं की गई। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावें। अपीलान्ट के द्वारा मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया। रेस्पोडेन्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 131, 132.136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम भेड तहसील ओसिया के ख0सं0 855/735, 731, 732, 733 की भूमि में से मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को गैर मुमकीन रास्ता घोषित किया जावें। उक्त कदीमी रास्ता सभी ग्रामीणों के उपयोग व उपभोग में लम्बे समय से चला आ रहा है। इसलिये नजरी नक्शे में दर्ज ए से बी स्थान

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

को रास्ते के रूप में घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्राथना पत्र को स्वीकार करते हुए अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2022 के द्वारा उपरोक्त कदीमी रास्ते की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिस आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश धारा 131, 136 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए पारित किया गया है तथा आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि आदेश बिना कोई कारण दिये पारित किया गया है, ऐसे में आदेश विधि के विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया है और न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है। जिसके कारण वह अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। इस कारण से आलौच्य आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलार्थी का ख0सं0 855/735 है तथा वे उसके खातेदार/काश्तकार है। मौके पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है और न ही मौके पर रास्ता चल रहा है जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है, वहॉ पर रास्ता नहीं है तथा भूमि लिये जाने हेतु सभी खातेदारो की कोई सहमति नहीं ली गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से मनमर्जी से गलत रिपोर्ट बनाकर रास्ता दिखा दिया गया है। इससे पूर्व भी पक्षकारों के मध्य धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 4/2016 अनवान चीमाराम वगैराह बनाम माकलराम वगैरा नाम से लम्बित था, जिसमें भी दिनांक 27.9.2021 को रास्ते का आदेश पारित किया गया है तथा राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे में अलग से यह कार्यवाही पोषणीय नहीं थी, इस आधार पर भी आलौच्य आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की अपील

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2022 को निरस्त किया जावें।

6. हमने अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति की है कि उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.3.2022 जिसके द्वारा ग्राम भेड तहसील ओसिया के ख0सं0 855/735, 731, 732, 733 की भूमि में से मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता घोषित किये जाने बाबत आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया और न ही उन्हें सुनवाई व पक्ष रखे का जाने का अवसर प्रदान किया गया है साथ ही पूर्व भी पक्षकारों के मध्य धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 4/2016 अनवान चीमाराम वगैराह बनाम माकलराम वगैरा नाम से लम्बित था, जिसमें भी दिनांक 27.9.2021 को रास्ते का आदेश पारित किया गया है तथा राशि जमा करवाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसे में अलग से यह कार्यवाही पोषणीय नहीं थी। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.3.2022 को निरस्त किया जावें।

7. प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार ओसियॉ की ओर से वादग्रस्त खसरा भूमि संख्या 855/735, 731, 732 व 733 में से चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने बाबत प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व पक्षकारों के मध्य धारा 251–ए राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण संख्या 4/2016 अनवान चीमाराम वगैराह बनाम माकलराम वगैरा में दिनांक 27.9.2021 को ही रास्ते का आदेश पारित किया जा चुका है तथा राशि जमा करवा दी जाने के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उल्लेख किये हुए है। अतः हमारी विनम्र राय में अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 को अपीलान्ट के खसरा संख्या 855/735 की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

को प्रतिप्रेषित किया जाकर अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने तथा उपरोक्त ऑब्जर्वेशन को मध्यनजर रखते हुए पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित रहेगा।

8. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, ओसियॉ के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.03.2022 को अपीलान्ट के ख0सं0 855/735 की भूमि की हद तक निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त ऑब्जर्वेशनस को मध्यनजर रखते हुए तथा अपीलान्ट को अपन पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त पुनः यथोचित आदेश पारित करे। कोई भी पक्ष चालू रास्ता बन्द नहीं करें। निर्णय आज दिनांक 27/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिता चौधरी)
अति0 सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर